न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांकः 11.01.2023
वाद संख्याः 475 / 2022

1. पुनीत यादव पुत्र सतवीरसिंह, उम्र 32 साल
2. सतवीरसिंह पुत्र स्व0 श्री फूलसिंह उम्र 68 साल महाचन्द

जातियान यादव, निवासी 719 जेऊ गौशाला रोड, नजफगढ नई दिल्ली हाल आबाद डायना फार्म हाउस ईदगाह खौहरी, तहसील सीकरी, जिला भरतपुर, प्रान्त राज0।

———वादीगण

बनाम

विक्रम पुत्र रामफल, उम्र 50 साल, जाति ब्राहमण, निवासी डायना बास, ईदगाह, तहसील सीकरी, जिला भरतपुर, प्रान्त राज0 ———प्रतिवादी

दावा अंतर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः—

1. श्री मुबीन खांन अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राहुल खांन अधिवक्ता प्रतिवादी।

निर्णय

यह वादपत्र वादीगण ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 1741 / 0.26 बाके ग्राम बास डायना तहसील सीकरी में अवस्थित है। आराजी खसरा नंबर 1741 / 0.26 बाके ग्राम बास डायना तहसील सीकरी वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बंध किसी किस्म का आज दिन तक मौके पर नहीं है। प्रतिवादी बिना किसी कानूनी अधिकार के वादीगण की आराजी पर नाजायज कब्जा करने, जबरन निर्माण कार्य करने, मदाख्लत मजाहमत करने तथा आराजीयात से बेदखल करने की धमकी दे रहा है तथा वादीगण को चाहे जब धमकाता है। प्रतिवादी ने दिनांक 10.10.2022 को ऐलानियां कहा कि मैं जबरदस्ती लठठ व ताकत के बल पर तुम्हारे खेत पर कब्जा कर मौके से बेदखल करके रहूंगा। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि डिकी स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जावे कि वह आराजी खसरा नंबर 1741 / 0.26 स्थित ग्राम बास डायना, तहसील सीकरी की आराजी में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदाख्लत मजाहमत ना करे, वादीगण को कब्जे से बेदखल ना करें तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करें, काश्त करने में कोई व्यवधान ना करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे और अन्य ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे वादीगण के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे।